F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हनुमान सहाय बनाम छाजूराम वगै0

किस्म मुकदमाः– दावा   मुकदमा नम्बर 30/2021

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
19.02.2021	वादी की ओर से श्री हरिबक्स सिंह चाहर एड0 ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन साधारण तरीके से की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 08.03.2021 को पेश हो।	
7.7.21	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-7-21 को पेश हो।	
28721	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06-10-21 को पेश हो।	
24.11.2021 पहचानकर्ता (आमेश कुमार)	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान उपस्थित। ग्राम पचायंत– बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित शिविर में उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 एंव 5 [illegible] भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। [illegible] वादी की पहचान वादी वकील श्री अमित [illegible] की एंव उपस्थित अन्य पक्षकारान् प्रतिवादीगण संख्या [illegible] लगायत 3 एंव 5 लगायत 10 की पहचान श्री रामकिशन, सरपंच, ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एंव 5 लगायत 10 के द्वारा वादी के पक्ष में	

राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र का आज ही लोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

हनुमान सहाय बनाम छाजुराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. 30/2021

प्रतिवादीगण

अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह) 24/11/21

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प:–बुर्जा की ढ़ाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की ओर से पहचान करता हूं

सरपंच
ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी
पं. स. अजीतगढ़ (सीकर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2021	2021 / 135	19.02.2021	24.11.2021

उनवान

हनुमान सहाय वर्मा पुत्र सुरजाराम आयु 62 वर्ष, जाति बलाई निवासी बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादी

बनाम्

1. छाजूराम पुत्र सुरजाराम उम्र 59 वर्ष
2. बाबूलाल पुत्र कजोड़ आयु 55 वर्ष
3. बलराम पुत्र कजोड़ आयु 45 वर्ष
4. धर्माराम पुत्र रामेश्वर आयु 40 वर्ष
5. कमला देवी बेवा रामेश्वर आयु 65 वर्ष
6. बनवारी उर्फ बन्नाराम पुत्र ढ़ालू उर्फ कालू आयु 70 वर्ष
7. रामलाल पुत्र ढ़ालू उर्फ कालू आयु 65 वर्ष
8. भैरूराम पुत्र गुल्ला आयु 65 वर्ष
9. मूलचन्द पुत्र गुल्ला आयु 50 वर्ष
10. सरदार मल पुत्र गुल्ला आयु 45 वर्ष

    समस्त जाति बलाई निवासीगण बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
11. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: Self Attested

उपस्थित—

श्री अमित कुमार ठठेरा , वादी अभिभाषक

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 11

24/11/21

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, बंटवारा एवं दुरूस्ती रेकार्ड अंतर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 कुल किता 12 कुल रकबा 6.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 1828, 1830, 1831, 1832, 1837 से 1845 कुल किता 13 कुल रकबा 4.95 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जमीन खाता संख्या नया 68 ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी में वादी का शुद्ध नाम हनुमान सहाय वर्मा पुत्र सुरजाराम वर्मा है जबकि जमाबन्दी में हणमान गलती से लिखा हुआ है तथा वादी का 1/9 हिस्सा 1/18 हिस्सा माता मृत्तक फूली पत्नि सुरजा वाले 1/9 हिस्से में से 1/2 हिस्सा कुल 1/6 हिस्सा है तथा वादी की उक्त जमीन अलग बंटी हुई है। अन्य खातेदारों प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 की जमीनें अलग है। नया खाता संख्या 112 ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी में जो 1/4 हिस्सा सुरजा पुत्र सुख्खा दर्ज है उसमे से 1/2 अर्थात 1/8 हिस्सा वादी का है तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी के छोटे भाई प्रतिवादी नम्बर 1 छाजूराम पुत्र सुरजाराम का है। वादी के पिता व माता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनके हिस्से की आधी जमीन पर वादी तथा आधी जमीन पर काफी वर्षो से प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज है। इसलिए मृत्तक खातेदार सुरजा पुत्र सुख्खा हिस्सा 1/4 में से 1/2 अर्थात आधी जमीन का खाता वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में जरूरी है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को पहले भी कई बार कहा कि दोनों जमाबंदियों नया खाता संख्या 68 व 112 ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी की जमाबंदियों में सही नाम व सही हिस्से दर्ज करवाने व विधिवत बंटवारा करा लिये जावे किन्तु दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी नम्बर 1 साफ इंकार कर दिया व कदीमी बंटवारा को भंग कर दुबारा बंटवारा कराने की व जबरन कब्जा करने की धमकी दी जबकि वादी ने अपने हिस्से की जमीन के चारों तरफ तारबंदी कर खूब खर्चा कर डवलप उन्नत बना ली है तथा काफी पक्की ईंट, पत्थर व बजरी वहां डाल रखी है व रहने के लिए पक्के मकान बना रहा है। इसलिए वाद पेश हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा कदीमी बंटवारा भंग करके, जबरन वादी वाले हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.11.26 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

24/11/24

कब्जा करने की धमकी से वाद कारण पैदा हुआ है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के नया खाता संख्या 68 में वादी के दर्ज नाम हणमान पुत्र सुरजाराम की बजाय हनुमान पुत्र सुरजाराम दर्ज करवाये जाने तथा वादी के नाम वाला 1/9 हिस्सा व मृत्तक माता फूली पत्नि सुरजा 1/9 हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम तथा शेष 1/9 हिस्सा में से 1/2 प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम दर्ज करवाने अर्थात् खसरा नम्बर 1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज करवाये जाने तथा नया खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 1828, 1830, 1831, 1832, 1837 से 1845 तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के रेवेन्यू रिकार्ड में जो 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा के नाम दर्ज है उस 1/4 हिस्से वाली जमीन में 1/8 हिस्सा वादी का व शेष 1/8 हिस्सा वादी के छोटे भाई प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने तथा मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा का नाम हजफ किये जाने बाबत उक्त दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढाणी में आयोजित शिविर दिनांक 24.11.2021 में पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित आये। जिनमें उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री अमित कुमार ठठेरा एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 की पहचान श्री रामकिशन, सरंपच, ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी के द्वारा की गई। पक्षकारान् प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में दौराने शिविर में उपस्थित होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढाणी के मजमे–ए–आंम में उपस्थित होकर लोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

अदालत की भावना से पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से एंव शिविर में उपस्थित पक्षकारान् ने भी अपनी–अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने से उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एंव 5 से 10 के द्वारा वादी के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता हनुमान पुत्र लच्छा हिस्सा 1/9 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 आपस में एक ही परिवार से है तथा मृत्तक हनुमान के वारिसान् पौत्रगण–पौत्रीगण ही है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नये खाता संख्या 68 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 कुल [illegible] हैक्टर कुल में दर्ज हणमान पुत्र सुरजाराम के बजाय हनुमान [illegible] जाना तथा वादी के नाम 1/9 हिस्सा व मृत्तक माता फूली पत्नि [illegible] से 1/2 हिस्सा वादी के नाम तथा शेष 1/9 हिस्सा में से 1/2 प्रतिवादी नम्बर 2 के [illegible] दर्ज किये जाना अर्थात् खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: Self Attested

24/11/21

1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने तथा नया खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 1828, 1830, 1831, 1832, 1837 से 1845 तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के रेवेन्यू रिकार्ड में जो 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा के नाम दर्ज है उस 1/4 हिस्से वाली जमीन में 1/8 हिस्सा वादी का व शेष 1/8 हिस्सा वादी के छोटे भाई प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमियों से मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा का नाम हजफ किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक, बंटवारा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात् काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 कुल किता 12 कुल रकबा 6.10 हैक्टर में दर्ज हणमान पुत्र सुरजाराम के बजाय हनुमान पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वादी के नाम 1/9 हिस्सा व मृत्तक माता फूली पत्नि सुरजा 1/9 हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम तथा शेष 1/9 हिस्सा में से 1/2 प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम दर्ज किये जाने अर्थात् खसरा नम्बर 1295 से 1298, 1300, 1326, 1327, 1349, 1350, 1424, 1454, 1458 तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने तथा नया खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 1828, 1830, 1831, 1832, 1837 से 1845 तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के रेवेन्यू रिकार्ड में जो 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा के नाम दर्ज है उस 1/4 हिस्से वाली जमीन में 1/8 हिस्सा वादी का व शेष 1/8 हिस्सा वादी के [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमियों से मृत्तक सुरजा पुत्र सुख्खा का नाम हजफ किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested

दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– बुर्जा की ढ़ाणी

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– बुर्जा की ढ़ाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:15 IST
Reason: SelfAttested